



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 20.03.2023

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को अधिकतम 05 वर्ष के कठोर कारावास व 21,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 07.06.2020 को थाना जरिया, जनपद- हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 100/20 अन्तर्गत धारा 323 304 504 आईपीसी में नामजद अभियुक्त गुलाब कोरी पुत्र नन्हे कोरी निवासी गुरुदेव पूरा कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम 05 वर्ष के कठोर कारावास व 21,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई।